न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः–346 / 2019 / 223 आर.टी.एक्ट (2019 / 00346)

1. श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री सालगराम जी जाति ब्राह्मण निवासी मण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा जरिए पावर ऑफ अटोनी। होल्डर श्री प्रहलाद चंद पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बाडी तहसील मसूदा जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिलाधीश, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार, उप–तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।
4. ग्राम पंचायत बाडी।

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 07 / 2011.</u>

उपस्थितः–
1. श्री वैभवकृष्ण पारीक, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03.
3. रेस्पोडेंट संख्या 04 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–25.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07 / 2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर के यहां पर वादीगण अपीलांटस ने दावा अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो दिनांक 28.08.2019 को खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

07/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि उन्होंने किस आधार पर एवं किस कारण से वादीगण अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करने का आदेश प्रदान किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में सभी तथ्य एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने जिन तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया था उनके संबंध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत कर दिए थे, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री किया था इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय दावे व जवाब दावे के अनुसार तनकियों का निर्माण नहीं किया है और न ही तनकियों का निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को सभी तनकियों का निर्णय अलग–अलग दस्तावेजी साक्ष्य एवं कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी भूल की है। वादीगण अपीलांटस को विवादित खसरा नम्बर 311 रकबा 8 बीघा जिसके हाल नम्बर 311/2001 आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 24.7.1972 को पंचायत घर बाडी पर उपस्थित होकर भूमि काश्त हेतु आवंटन की गई थी इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान किया जो निरस्त योग्य है। वादीगण अपीलांटस को विवादित आराजी खसरा नम्बर 311 रकबा 8 बीघा पर बहैसियत कब्जा काश्त आवंटन से आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक एवं बिना रोक–टोक के चला आ रहा है तथा वादीगण अपीलांट के द्वारा विवादित आराजीयात पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर आज भी वादीगण अपीलांट का कब्जा एवं काश्त है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी भूल की है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट ने बिना वादीगण अपीलांट को सूचित किए एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदार किए तथा वादीगण अपीलांट की बिना जानकारी में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत विवादित आराजी को चारागाह में अंकित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होकर वादीगण अपीलांट के मुकाबले में बैअसर है क्योंकि विवादित भूमि वादीगण अपीलांटस की आवंटन शुदा भूमि जिस पर वादीगण अपीलांट का हक व अधिकार निहित है यह भूमि किसी भी प्रकार से चारागाह भूमि है और न ही यह कभी चारागाह के काम में आई है इसलिए वादीगण अपीलांट की भूमि को चारागाह दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी भूल की है। वादीगण अपीलांट विवादित भूमि की सदभावी काश्तकार तथा वादीगण अपीलांट ने आवंटन शुदा विवादित आराजी पर लाखों रूपए खर्च करके काबिल काश्त बनाया है जिस पर वादीगण अपीलांट का कब्जा एवं काश्त बहैसियत अलॉटमेंट से आज तक लगातार चला आ रहा है। इस आवंटन आदेश को प्रतिवादीगण

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेंटस ने सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रदान करके निरस्त नहीं करवाया है इसलिए यह आवंटन आदेश अंतिम है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी भूल की है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेंटस ने वादीगण अपीलांट की आवंटन शुदा भूमि को राजस्व रिकार्ड में गलत इंद्राज करके चारागाह दर्ज किया है जिसका कि उनको कोई हक व अधिकार नहीं है इसके उपरांत भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट वादीगण अपीलांट के खिलाफ नाजायज कब्जे की कार्यवाही कर वादीगण अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। जिसका की उनको कोई हक व अधिकार नहीं है इसलिए वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किए जाने योग्य था। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी भूल की है। विवादित खसरा नम्बर 311 में से कई व्यक्तियों को आवंटन किया गया था जिस पर से उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा वह सभी लोग आवंटन शुदा भूमि पर कब्जे एवं काश्त में लगातार चले आ रहे है तथा विवादित खसरा नम्बर 315 में से कई व्यक्तियों को आवंटन किया गया था यह आवंटन अमरचंद, नाथूराम, कल्याण सिंह, भंवर सिंह रामनारायण, हरजी, देवा, रतनलाल, घीसा आदि सभी लोग आवंटन शुदा भूमि पर कब्जे एवं काश्त में लगातार चले आ रहे है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जिन तथ्यों का निर्धारण किया है उन तथ्यों को निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय सक्षम नहीं थी। क्योंकि वादीगण अपीलांट ने अपने वाद को पूर्णतया साबित कर दिया, जिसके आधार पर वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किए जाने योग्य था। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी भूल की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादीगण अपीलांटस द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि, वादग्रस्त आराजी चारागाह दर्ज है, वादी अतिक्रमी होने से वादी के वाद को खारिज किया जाना न्यायोचित है, तथा वादीगण अतिक्रमी की श्रेणी में आता है, नियमानुसार कार्यवाही करने के अधिकार क्षेत्र में है। वादीगण को विवादित आराजी से नियमानुसार बेदखल करने का अधिकार प्राप्त है। वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है, अतिक्रमी के रूप में काबिज है, इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद- पत्र निरस्त किये जाने में किसी प्रकार प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादीगण अपीलांटस द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि, वादग्रस्त आराजी चारागाह दर्ज है, वादी अतिक्रमी होने से वादी के वाद को खारिज किया जाना न्यायोचित है, तथा वादीगण अतिक्रमी की श्रेणी में आता है, नियमानुसार कार्यवाही करने के अधिकार क्षेत्र में है। वादीगण को विवादित आराजी से नियमानुसार बेदखल करने का अधिकार प्राप्त है। वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है, अतिक्रमी के रूप में काबिज है, इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद–पत्र निरस्त किये जाने में किसी प्रकार प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलाटस/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित खसरा नम्बर 311 रकबा 8 बीघा जिसके हाल नम्बर 311/2001 आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 24.7.1972 को पंचायत घर, बाडी पर उपस्थित होकर भूमि काश्त हेतु आवंटन की गई थी। वादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 311 रकबा 8 बीघा पर बहैसियत कब्जा काश्त आवंटन से आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने बिना वादीगण को सूचित किये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये विवादित आराजी को चारागाह में अंकित कर दिया। वादीया सदभावी काश्तकार है। वादीया आंवटनशुदा विवादित आराजी पर लाखों रूपये लगाकर काबिज काश्त बनाई है। प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज चारागाह के कारण वादीगण के खिलाफ नाजायज कब्जे की कार्यवाही कर उससे बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए वाद–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुयी। वाद–पत्र को स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादगस्त आराजी नम्बर 311 रकबा 08 बीघा हाल खसरा नम्बर 311/2001 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। प्रतिवाद ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद–पत्र के तथ्यों को नकराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी चाहागाह दर्ज है वादी अतिक्रमी है काबिज होने से वाद खारिज योग्य हैं। जवाब दावा प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र में चार तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वाद पत्र का निस्तारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कथन करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है कि वादीगण विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित करने असफल रहे है तथा वादीगण ने विवादित भूमि पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपना कब्जा सन् 1972 से होना बताया है किन्तु प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 311/2001 रकबा 16–10–00 बीघा चाहागाह दर्ज है। चारागाह भूमि पर धारा 16 के तहत् खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसलिए खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलांट/वादीगण की ओर से वादी के बेसिस से सम्बन्धित मूल दस्तावेज अथवा मूल सत्यप्रतिलिपि का दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और केवल मात्र फोटो प्रति ही प्रस्तुत की गयी है ऐसे दस्तावेज पर विश्वास कर वादी के वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता है तथा प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 में विवादित भूमि चाहागाह दर्ज है धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानुसार चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती हैं इसलिए लम्बे समय तक कब्जा होने के बावजूद भी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है। धारा 99 दीवानी प्रक्रिया संहिता में कथन किया कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उलटी जाएगी और न उपान्तरित की जाएगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात पर विस्तृत निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत हैं इसलिए अपील अपीलांटस खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।
ब इजलाशः–राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री सालगराम जी जाति ब्राहमण निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भिलवाडा जरिए पावर ऑफ अटोनी। होल्डर श्री प्रहलाद चंद पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बाडी तहसील मसूदा जिला अजमेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए जिलाधीश, जिला अजमेर व अन्य।

अपील संख्या 346/2019 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी,मसूदा मुबर्खे 28 माह 08 सन 2019, प्रकरण संख्या 07/2011

दावा बाबत् - वाद अन्तर्गत धारा .88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम

यह अपील ब तारीख 25 माह 05 सन् 2023 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री वैभवकृष्ण पारीक,अभिभाषक अपीलांट, श्री विकास पाराशर, राजकी अधिवक्ता रेस्पो संख्या 01से 03,रेस्पों संख्या 04 अनुपस्थित,समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:– अपील **अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 को यथावत् रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –XXX- रूपये- XXX -- अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का- XXX -- अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 25 माह 05 सन् 2023 को जारी किया गया।

मोहर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोंडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	–	1.स्टाम्प वकालतनामा	–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–	2.स्टाम्प अर्जी	–
3.इजराय हुक्मनामा	–	3.इजराय हुक्मनामा	–
4.वकील फीस बाबत्	–	4.महनताना वकील	–
मीजान	–	मीजान	–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहियें।

Judl/Civil

Scanned with CamScanner